



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



29629/2017

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimofrko@gmail.com

पत्र सं. ८३०/यू.पी./०४/३८/२०१८/एफ.सी./७५

दिनांक: २५/४/१८

सेवा में,
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
वन विभाग,
17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

ref No/18
02/05/18

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/TRANS/29629/2017

विषय: जनपद चित्रकुट में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-७८/३५ (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे ३३२ किमी० से ३४९ किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित ३३/११ के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रमावित २५.५ हेठो संरक्षित वनमूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ३२५ वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:-विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-७८/१४-२-२०१८-८००(६८)/२०१८, दिनांक- ०३.०४.२०१८

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयाकृत प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा-(२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विवारणात् मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न विन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

- 1- The SOI toposheet of proposed land to be diverted as well as CA land has not been submitted.
- 2- Comments on alternative route has not been submitted.
- 3- Area calculation has to be exact for oblique crossing of transmission lines.
- 4- Reference of Rights of Primitive tribes and pre agricultural communities not mentioned in FRA certificate.

मवदीय,
(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, चित्रकुट, उ० प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण चित्रकुट, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

महत्वपूर्ण/अति आवश्यक/तत्काल

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- २०७१/११-सी- FP/UP/Trans/29629/2017, लखनऊ, दिनांक: मई २५, 2018

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, चित्रकुट धाम वृत्त, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित विन्दुवार सूचना का निराकरण निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी चित्रकुट वन प्रभाग, चित्रकुट को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित विन्दुवार सूचना का निराकरण निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों सहित इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण चित्रकुट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक [चित्रकुट धाम वृत्त कादा (३६५०)]
पत्रांक- ५०५७३३-१/६३३ लादा अ०, ०५, २०१८,

प्रतिलिपि- ५०५७३३-१/६३३ लादा अ०, ०५, २०१८, (दा० प्रशास्त्र कुमार वर्मा)
प्रतिलिपि- ५०५७३३-१/६३३ लादा अ०, ०५, २०१८, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

प्रतिलिपि- ५०५७३३-१/६३३ लादा अ०, ०५, २०१८, उ०प्र०, लखनऊ।

14. ST Page No.724



वन संरक्षक
चित्रकुटवाम वृत्त, बंदा